भारतीय विज्ञान अकादमी

विज्ञान शिक्षा पैनल

अल्पावधि व्याख्यान कार्यशालाओं हेतु दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

अल्पावधि व्याख्यान कार्यशालाएं विज्ञान शिक्षा पैनल के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण भाग है । इनकी अवधि 2 से 3 दिवस की होती है और इनका उद्देश्य परास्नातक, स्नातक तथा अनुसंधान स्तरों पर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को लाभ पहुंचाना है। जहाँ आधुनिक क्षेत्रों की विषयगत रूचि पर चर्चा महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसका देश के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रमों में कवर की जाने वाली सामग्रियों से सीधी संगतता हो और उसमें अनुसंधान स्तर के कुछ विषयों को भी कवर किया जा सकता है।

किसी कार्यशाला की योजना बनाना

1- व्याख्यान कार्यशाला के संयोजक अकादमी के एक अध्येता होना चाहिए ।

2- संयोजक कार्यशाला के संचालन में सहायता हेतु मेजबान संस्थान से किसी समन्वयकर्ता की पहचान कर सकता है। संसाधन व्यक्ति (वक्ता) **आदर्श रूप से कुल 6 से 8** (2 दिवसीय कार्यक्रम हेतु 6 तक, 3 दिवसीय कार्यक्रम हेतु 8 तक) में अध्येता तथा अन्य शामिल हो सकते हैं। यह वांछनीय है कि उनमें से कम से कम आधे और संभवतः उससे अधिक अध्येताओं।

3- जहां तक संभव हो सभी संसाधन व्यक्ति स्थल की निकटता वाले संस्थानों से होने चाहिए ताकि यात्रा व्ययों को न्यूनतम किया जा सके ।

4- प्रतिभागी मेजबान संस्थान के शहर/नगर में से सभी अथवा जितने अधिक स्थानीय तथा निकटवर्ती कॉलेजों से संभव हो, होने चाहिए और इसलिए कार्यक्रम के संबंध में घोषणाओं का व्यापक प्रचार होना चाहिए। व्याख्यान कार्यशालाएं केवल स्थानीय प्रतिभागियों हेतु है और न कि अन्य शहरों/नगरों के व्यक्तियों हेतु जिनके लिए रेल या बस यात्रा, आवास व्यवस्था आदि की आवश्यकता हो।

5- शहर के बाहर से आने वाले सभी संसाधन व्यक्तियों (2टियर एसी किराया अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में पूर्व अनुमोदन के साथ रियायती किरायों को प्राप्त करके) हेतु यात्रा व्ययों को अकादमी द्वारा वहन किया जाएगा।

6- संयोजक/समन्वयक को कार्यशाला की आयोजना वाले शहर के सभी कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों/ अन्य संस्थानों को लिखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की बड़ी प्रतिभागिता हो।

7- सभी प्रचार सामग्री जैसे कि कार्यक्रम शीट, आमंत्रण कार्ड आदि पर मेजबान संस्थान की तुलना में "भारतीय विज्ञान अकादमी" के नाम को तर्कसंगत प्रमुखता दी जानी चाहिए।

पाठ्यक्रम के पश्चात

8- संसाधन व्यक्ति को व्याख्यान मानदेय - प्रत्येक व्याख्यान हेतु 750/- रूपये। इसका भुगतान मेजबान संस्थान द्वारा व्याख्यान के पश्चात बैठक के स्थल पर किया जा सकता है।

9- कार्यशाला संयोजक (1500/- रूपये) और समन्वयकर्ता (1000/- रूपये) के मानदेय का भुगतान अकादमी द्वारा सीधे बंगलौर से किया जाएगा।

10- पूर्ण कार्यक्रम (समय-सारिणी सहित), प्रतिभागियों की सूची की एक प्रति और फोटोग्राफ/समूह फोटोग्राफ, यदि कोई ली गई हो, की प्रतियां संयोजव द्वारा अकादमी को भेजी जाएं ।

11- प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिनिधित्व करने वाले कालेजों का नाम, कवर किए गए विषय और अन्य किसी उपयोगी सूचना जैसी जानकारी समाविष्ट होने वाली एक संक्षिप्त रिपोर्ट संयोजक द्वारा अकादमी को भेजी जाए।

वित्तीय सहायता :

12- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अकादमी संसाधन व्यक्तियों के यात्रा व्यय तथा व्याख्यान मानदेय का भुगतान करेगी। इसका भुगतान मेजबान संस्थान द्वारा किया जा सकता है और अकादमी द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13- अकादमी संसाधन व्यक्तियों के ठहरने तथा स्थानीय परिवहन के व्ययों का भुगतान करेगी। आवास की व्यवस्था मेजबान संस्थान के अतिथि गृह में, अन्यथा साफ, मध्यम स्तर के होटल में की जानी चाहिए।

14- अकादमी सत्रों के दौरान दोपहर भोज, कॉफी/चाय, और कार्यक्रम के आयोजन में संलग्न नमूना बजट में दिए अनुसार होने वाले व्ययों को वहन करेगी ।

15- सजावट, औपचारिकताओं आदि पर व्यय से बचा जाना चाहिए अथवा उसे तर्कसंगत रूप से न्यूनतम पर रखा जाना चाहिए।

16- कार्यवाहियों के प्रकाशन पर व्यय, यदि कोई हो, को मेजबान संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

17- प्रतिभागियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

18- मेजबान संस्थान से वित्तीय योगदान का स्वागत है।

****

व्याख्यान कार्यशालाओं हेतु नमूना बजट अनुमान (कार्यशील व्यय)

(लगभग 100 प्रतिभागियों हेतु)

	रूपये में	
प्रचार	3,000	
पंजीकरण सामग्री (पैड, पैन आदि)	5,000	
<u>प्रथम दिवस</u>		
2 बार चाय/कॉफी/बिस्कुट	2,500	
कार्यशील दोपहर भोजन	5,000	
	15,500	मान लीजिए 16,000
<u>द्वितीय दिवस</u>		
अतिरिक्त खान-पान व्यय	7,500	
	23,000	मान लीजिए 25,000
<u>तृतीय दिवस</u>		
अतिरिक्त खान-पान व्यय	7,500	
	30,500	मान लीजिए 32,000

संसाधन व्यक्तियों के ठहरने तथा स्थानीय परिवहन हेतु व्यय - वास्तविक के अनुसार